

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांक प. 04(05)ज0सं0 / 18


जयपुर, दिनांक : 15 JUN-2018

सूचना

राजस्थान अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान अधिकारी (सिंचाई) शाखा सेवा नियम 1954 के नियम 28 के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियमित रूप से कार्यरत अधिकारियों की वर्ष 2017-18 की अन्तरिम (Tentative) वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2017 की स्थिति अनुसार जारी की जाती है।

यदि किसी अधिकारी को उक्त वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/ऐतराज हो तो दिनांक 22.06.2018 सायं 06.00 बजे तक सीधे ही निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते हैं। आपत्तियों अधोहस्ताक्षरकर्ता तथा मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग, जयपुर को जरिये फैंक्स, डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत की जा सकती है। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।


आज्ञा से



(राजेन्द्र कुमार शर्मा)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें। यदि अन्तरिम वरिष्ठता सूची पर निर्धारित अवधि में आपत्तियाँ प्राप्त होती है तो आपकी टिप्पणी के साथ शीघ्र भिजवाने का श्रम करावें।
2. रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ शासन उप सचिव

24

Tentative Seniority List of Administrative Officer
(As on 01-04-2017)

S.No.	Name	DOB	DPC Year	Category
1	Smt Shobha Gupta	09-Jul-58	2015-16	Gen
2	Shri Aanad Prakash Goyal	01-May-57	2015-16	Gen

sk.